

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग -793 003, मेघालय

विज्ञापन संख्या नीपको/पर्स/28/ 01/2024 दिनांक 07/03/2024

भारत में विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फॉर्म/न्यायिक और गैर-न्यायिक निर्णय प्राधिकारियों के समक्ष नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं/नामित वरिष्ठ अधिवक्ता/विधि फ़र्मों के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) का संक्षिप्त विवरण:

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("नीपको") को दिनांक 2 अप्रैल 1976 को विद्युत मंत्रालय के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली स्टेशनों की योजना, प्रचार, जांच, सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, संचालन और रखरखाव के लिए शामिल किया गया था। निगम में उक्त संशोधन भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत था। निगम में उक्त संशोधन भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत था। निगम का पंजीकृत और मुख्य कार्यालय मेघालय राज्य में ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग -793003 में स्थित है। इसका संचालन बड़े पैमाने पर भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों, विशेष रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि में आधारित है, लेकिन इसने भारत के विभिन्न हिस्सों में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। नीपको अपने सशक्त प्रयासों से पूर्वोत्तर क्षेत्र की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे भरोसेमंद विद्युत उपयोगिता बनी हुई है और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की 50% से अधिक बिजली आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और इसने सफलतापूर्वक पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर अतिरिक्त बिजली का निर्यात शुरू कर दिया है।

नीपको इसके द्वारा मामलों को संभालने में पर्याप्त प्रासंगिक अनुभव और दक्षता रखने वाले अधिवक्ताओं/नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि फ़र्मों से आवेदन आमंत्रित करता है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थता कानून, वाणिज्यिक कानून, संवैधानिक कानून, सेवा कानून, पर्यावरण कानून, कराधान कानून, कॉर्पोरेट कानून, भूमि कानून, सूचना और प्रौद्योगिकी और साइबर अधिनियम, श्रम विवादों सहित बौद्धिक संपदा कानून और अन्य कानून, नियम, विनियम तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पैनल में शामिल करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सरकारी दिशानिर्देश शामिल हैं। यदि उचित समझा जाए तो नीपको दो वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि के लिए पैनल को नवीनीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग -793 003, मेघालय

योग्यता मानदंड:

नीपको में पैनल में शामिल होने के लिए विधि फर्म/अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन जमा करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

ए. विधि फर्म/अधिवक्ता के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए अभ्यास की अवधि: संबंधित बार काउंसिल के साथ पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

बी. विशेषज्ञता: जैसा कि उपरोक्त बताया गया है कंपनी के लिए प्रासंगिक कानून के क्षेत्रों में विशेषज्ञता।

आधारभूत संरचना: अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि फर्मों के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए जैसे कि कार्यालय परिसर, कनिष्ठ अधिवक्ताओं की संख्या, सहायकों, लिपिकों और मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन आदि - इसका स्व-प्रमाणन।

अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/विधि फर्मों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़:

- (i) अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को **अनुबंध-ए** में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपना बायोडाटा प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करना आवश्यक है:
 - क. बार काउंसिल के साथ पंजीकरण/बार एसोसिएशन/बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र।
 - ख. अन्य संगठनों के साथ पैनल में शामिल होने की सूची।
 - ग. अनुभव/विशेषज्ञता और/या इस संबंध में घोषणा के समर्थन में प्रमाण पत्र।

सामान्य सूचना:

1. केवल आवेदन जमा करने और पात्रता मानदंडों को पूरा करने से अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/विधि फर्म पैनल में शामिल होने के पात्र नहीं हो जाते हैं। प्राप्त आवेदनों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और अनुमोदन किया जाएगा।
2. पर्याप्त पात्र आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नीपको पात्रता मानदंड को संशोधित/छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि फर्म को तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि उचित समझा जाए तो नीपको पैनल को दो वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकता है।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग -793 003, मेघालय

4. नीपको के पास किसी भी कारण से आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज करने का अधिकार सुरक्षित है यदि: (i) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है या (ii) किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है या (iii) अपेक्षित दस्तावेजों/जानकारी के साथ नहीं है या (iv) बिना कोई कारण बताए किसी भी संबंध में अधूरा है, इसलिए
5. नीपको में केवल विधि फर्म का पैनलबद्ध होना नीपको द्वारा किसी भी कार्य/असाइनमेंट के पुरस्कार की गारंटी नहीं देता है।
6. पहले से ही नीपको के साथ सूचीबद्ध अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को भी नए पैनल में शामिल होने पर विचार करने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। जिस तारीख से अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि फर्मों का नया पैनल प्रभावी हो जाएगा, उस दिन से अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि फर्मों का मौजूदा पैनल अप्रचलित और अप्रभावी हो जाएगा। हालाँकि, वे उन मामलों को जारी रखेंगे जो उन्हें पहले ही सौंपे गए थे।
7. अधिवक्ताओं/विधि फर्मों का पैनल बनाना नीपको का एकमात्र विवेकाधिकार होगा।
8. नीपको के पास बिना किसी सूचना या कोई कारण बताए बिना अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि फर्मों के पैनल में शामिल होने की पूरी प्रक्रिया को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. यदि अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/विधि फर्म को अन्य संगठनों/प्रतिष्ठानों द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, तो अवसर आने पर आवश्यक सत्यापन के लिए उन संगठनों/प्रतिष्ठानों की एक सूची, पूर्ण पते और संपर्क नंबर दिए जाने चाहिए।
10. अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/कानून फर्मों का अंतिम रूप दिया गया पैनल संपूर्ण होगा।
11. अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/कानून फर्मों के चयनित पैनल के लिए अदालत में समय पर उपस्थिति अनिवार्य होगी।
12. अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/कानून फर्मों के किसी भी पैनल को केवल इसलिए कोई रिटेनर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसे अधिवक्ता को पैनल में शामिल किया गया है।
13. विधि फर्मों को उक्त फर्म द्वारा विधिवत अधिकृत एक अधिवक्ता के माध्यम से सूचीबद्ध किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, व्यक्तिगत अधिवक्ताओं के पैनल में

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग -793 003, मेघालय

शामिल होने के लिए सभी नियम और शर्तें यथोचित परिवर्तनों के साथ उन पर लागू होंगी और कंपनी केवल ऐसी विधि फार्म के पैनेल में शामिल अधिवक्ताओं के साथ बातचीत और व्यवहार करेगी।

14. भुगतान शर्तें:

- (i) अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/ विधि फार्म को देय शुल्क नीपको की अनुमोदित शुल्क अनुसूची के अनुसार होगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। हालाँकि, ऐसे मामलों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं और उनके कनिष्ठ आदि की नियुक्ति और उनकी फीस को प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और तय किया जा सकता है। स्थगन की स्थिति में कोई शुल्क देय नहीं है। विशेष मामले में विनियोजित अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/ विधि फार्म केवल "प्रभावी सुनवाई" के मामलों में उपस्थिति के लिए पूरी फीस का दावा कर सकते हैं। "गैर-प्रभावी सुनवाई" के मामले में, उपस्थिति शुल्क के 15% का भुगतान किया जाएगा।
- (ii) यदि किसी अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/ विधि फार्म को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थित न्यायालय/न्यायाधिकरण में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है जिसके लिए नीपको ने अधिवक्ता/विधि फार्म को सूचीबद्ध किया है, तो अधिवक्ता/विधि फार्म यात्रा (इकॉनमी क्लास) करने का हकदार होगा (किफायती वर्ग); आवास, भोजन आदि के पात्र होंगे। इसकी सारी व्यवस्था नीपको करेगा।
- (iii) पैनेल में शामिल किसी भी अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/ विधि फार्म को केवल इसलिए कोई रिटेनर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसे अधिवक्ता/ विधि फार्म को पैनेल में शामिल किया गया।
- (iv) पैनेल में शामिल विधि फार्म के मामले में, प्रस्तुत बिल/दावों में डीलिंग अधिवक्ता का नाम निर्दिष्ट होना चाहिए।

15. आवेदन कैसे करें इच्छुक और पात्र अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/ विधि फार्म विज्ञापन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरी जानकारी के साथ निर्धारित प्रारूप (यहां संलग्न) में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी सहायक दस्तावेजों/जानकारी के साथ एक बंद लिफाफे में "नीपको में अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/ विधि फार्म का पैनेलबद्ध होना" लिखकर निम्नलिखित पते पर जमा किया जाना चाहिए: महाप्रबंधक (मा.सं)-II/विधि विभाग प्रमुख, नीपको लिमिटेड, ब्रुकलैंड कंपाउंड लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग-793003। आवेदन उक्त पते पर हाथों-हाथ भी दिया जा सकता है।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग -793 003, मेघालय

संलग्नक-ए

अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/विधि फर्मों के लिए बायोडाटा का प्रारूप:

1. बड़े अक्षरों में नाम:
2. जन्मतिथि:
3. बार काउंसिल में नामांकन की तिथि:
4. बार काउंसिल का नाम (नामांकन प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें):
5. अनुभव का विवरण:
6. अभ्यास की अवधि और विशेषज्ञता के क्षेत्र:
7. कुछ महत्वपूर्ण मामलों का विवरण, जिन्हें अधिवक्ता ने निपटाया/संभाला या निर्णय की सूचना दी, उल्लेखनीय उपलब्धियाँ, यदि कोई हों:
8. क्या पहले या वर्तमान में केंद्र सरकार/किसी राज्य सरकार/किसी पीएसयू के साथ सूचीबद्ध है (अवधि सूची संक्षेप में दर्शाए):
9. वे न्यायालय जहां अधिवक्ता नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं।(बार एसोसिएशन सदस्यता प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी भी बार एसोसिएशन/बार काउंसिल द्वारा कभी भी दंडित नहीं किया गया है। मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियमों और विनियमों के तहत कंपनी (नीपको) के मामलों के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का भी वचन देता हूँ। मैं एतद द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने ऊपर बताए गए विवरणों को सत्यापित कर लिया है और पुष्टि करता हूँ कि प्रस्तुत की गई सभी जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।

अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता के हस्ताक्षर

पता:

संपर्क सं.:

ईमेल:

दिनांक: _____

स्थान: _____